

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -135/2023 निगरानी

- | | | |
|--|------|--|
| 1. ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा,
पंचायत समिति बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा जरिए
सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा,
पंचायत समिति बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. मतंग कुमार पुत्र महावीर प्रसाद राव
निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा |
|--|------|--|

—गैर निगराकार

—निगराकार

प्रकरण संख्या -186/2023 निगरानी

- | | | |
|--|------|---|
| 1. शिवलाल पिता मोहनलाल धाकडबनाम
निवासी फतेहपुर तहसील बिजौलिया | बनाम | 1. मतंग कुमार पुत्र महावीर प्रसाद
राव निवासी बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा |
| | | 2. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत
उमाजी का खेड़ा पंचायत समिति
बिजौलिया तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा |

—गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पत्रावली
संख्या 91 संवत् 2044 दिनांक 15.05.1987 तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम
पंचायत उमा जी का खेड़ा पंचायत समिति माण्डलगढ

उपस्थित —

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता एवं श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता — निगराकार की ओर से
2. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता — गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 01.05.2025 से उक्त दोनो प्रकरणों में एक पटटे बाबत दो अलग अलग उनवान से निगरानी पेश होने से उक्त दोनों प्रकरणों को क्लब किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवायी की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायत राज अधिनियम 1953 की धारा 27ए एवं पंचायत सामान्य



[Handwritten Signature]
13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा